



केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



Date: 18.12.2020

No. CWC/MS-I/Med Rev-EmpnI-Hosptls/Admn/2020-21

परिपत्र

विषय: निगम के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के इनडोर उपचार हेतु "सीधे भुगतान प्रणाली" के अंतर्गत अस्पतालों को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) करने के संबंध में |

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कर्मचारियों और उनके आश्रितों के इनडोर उपचार के लिए दिनांक 09.12.2020 से 31.03.2023 की अविध के लिए निम्नलिखित अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है. केंद्रीय भण्डारण निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पित या पत्नी को भी उसी दर पर यह सुविधा प्रदान की गई है तथापि यह सुविधा निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार नकद भुगतान के आधार पर प्रदान की जाएगी।

| क्र .संख्या | अस्पताल का | दर | विशेषता का | |
|-------------|----------------|--|--------------------------|-----------|
| | नाम | | | क्षेत्र |
| 1. | नारायणा | सीजीएचएस दर :सीजीएचएस दर पर सभी उपचार | | विशेष और |
| | सुपर | <u>परामर्श शुल्क</u> :सीजीएचएस दर के अनुसार | सामान्य | |
| | स्पेशलिटी | <u>डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं</u> :सीजीएचएस दर | र के अनुसार। | उपचार एवं |
| | अस्पताल, | | रूम रेंट | नैदानिक |
| | प्लॉट न . | प्रबंध निदेशक /निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी | प्राइवेट रु .3000-/ | प्रक्रिया |
| | 3201 फेज | समूह महा प्र /.महा प्र /.उप महा प्र /. | प्राइवेट रु .3000-/ | |
| | 3, | सहां .महा प्र /.अधिशासी अभियंता और | | |
| | डी.एल.एफ . | समकक्ष | | |
| | सिटी | प्रबंधक और नीचे अधीक्षक तक और | प्राइवेट रु .3000-/ | |
| | गुरुग्राम, | समकक्ष | | |
| | हरियाणा- | ग्रुप ग | सेमी प्राइवेट रु .2000-/ | |
| | 122002 | ग्रुप घ | सामान्य वार्ड रु1000 /- | |
| 2. | यथार्थ | सीजीएचएस दर :सीजीएचएस दर पर सभी : | विशेष और | |
| | वेल्ल्नेस्स | <u>परामर्श शुल्क</u> :सीजीएचएस दर के अनुसार | सामान्य | |
| | सुपर | <u>डायग्नोस्टिक लैब सुविधाएं</u> :सीजीएचएस दर | • | उपचार एवं |
| | उ स्पैशलिटी | ्रा क्रम केंट्र | | नैदानिक |
| | हॉस्पिटल & | प्रबंध निदेशक /निदेशक और मुख्य प्रा सतर्कता अधिकारी | ाइवेट रु .3000-/ | प्रक्रिया |
| | हार्ट सेंटर, | समूह महा प्र /.महा प्र /.उप महा प्र /. प्रा | ।इवेट रु .3000-/ | |
| | एनएच-07, | सहा .महा प्र /.अधिशासी अभियंता | | |





केन्दीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)





| सैक्टर-110, | और समकक्ष | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| नोएडा, | प्रबंधक और नीचे अधीक्षक तक और | प्राइवेट रु .3000-/ | |
| गौतम बुद्ध | समकक्ष | | |
| नगर, | ग्रुप ग | सेमी प्राइवेट रु .2000-/ | |
| उत्तर प्रदेश- | ग्रुप घ | सामान्य वार्ड रु1000 /- | |
| | | | |
| 201304 | | | |

नोट:-

- i. जहाँ कहीं भी सीजीएचएस दरें उल्लेखित हैं; यह सीजीएचएस एनएबीएच 2014 की दरों के अनुसार है|
- इनपेशेंट उपचार के मामले में; प्रति विशेषज्ञ आई.पी.डी. परामर्श के लिए अस्पताल को देय
 शुल्क, प्रति दिन 02 परामर्श तक सीमित रहेगा।

प्राधिकार पत्र जारी करना

कर्मचारियों को अस्पताल द्वारा इनडोर उपचार के लिए ऊपर उल्लिखित कमरे की श्रेणी के पात्रता के अनुसार भर्ती किया जाना है जो कि पात्रता के कमरे के शुल्क तक सीमित रहेगा और इसके लिए कार्मिक विभाग, निगमित कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों के लिए विधिवत अधिकृत कार्मिकों द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाना चाहिए।

कमरे की पात्रता की श्रेणी ऊपर वर्णित है तदनुसार प्राधिकार पत्र में कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कमरे के शुल्क की श्रेणी के बारे में तथा कमरे के किराए की अधिकतम सीमा का उल्लेख किया जाना चाहिए।

यदि पात्रता श्रेणी मे कमरा उपलब्ध है और कर्मचारी उच्च श्रेणी के कमरे के लिए आग्रह करता है तो कमरे के शुल्क की अंतर राशि उस कर्मचारी द्वारा वहन की जाएगी, जिसे डिस्चार्ज के समय अस्पताल द्वारा संबंधित कर्मचारी से वसूल किया जाएगा

जहाँ अस्पतालों ने सीजीएचएस/एनएबीएच/एनएबीएल की दरों पर शुल्क वसूल किया है तो वह शुल्क उस अस्पताल को देय होगा तथापि इसके लिए सूचीबद्ध अस्पताल से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वे उक्त श्रेणियों से मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त इसको सीजीएचएस की वेबसाइट से भी सत्यापित किया जा सकता है. यह सभी संबंधितो द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

निगमित कार्यालय के दिनांक 23.10.2013, के परिपत्र के अनुसार सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध किये गए अस्पतालों को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं।





केन्दीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए इनडोर उपचार उन विशेष बीमारियों के लिए लिया जा सकता है जिनका ओपीडी में इलाज नहीं किया जा सकता है। इनडोर उपचार के लिए अस्पताल के संबंधित डॉक्टर की संस्तुति पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा तथा यह जांच, नैदानिक प्रक्रियाओं आदि के लिए जारी नहीं किया जाएगा

(जतिन अलघ)

वरि. सहा. प्रबंधक (प्रशा.) कृते समूह महाप्रबंधक (कार्मिक)

वितरण :-

- 1. सभी विभागाध्यक्ष, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली
- 2. अध्यक्ष के निजी सचिव/ प्रबंध निदेशक के वरि. निजी सहायक/ निदेशक(कार्मिक) के निजी सचिव/ निदेशक(वित्त) के व.स.प्र./ मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली
- 3. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक, केभिनि, क्षे.का. को यह अनुरोध किया जाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जिला / राज्य से बाहर उपचार हेतु निगमित कार्यालय मे भेजने से पूर्व, संबंधित राज्य / जिला / सरकार / सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि सीएसएमए नियमों के अनुसार इन अस्पतालों में ऐसे उपचार / सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृपया इस परिपत्र की सामग्री को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए
- 4. प्रणाली विभाग से अनुरोध है की इस परिपत्र को निगम की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें|





केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



Date: 18.12.2020

No. CWC/MS-I/Med Rev-Empnl-Hosptls/Admn/2020-21

CIRCULAR

Sub: - Empanelment of Hospitals under "Direct Payment System" for indoor treatment of Corporation's employees and their dependents.

With the approval of the Competent Authority the following hospitals has been empanelled for the period from **09.12.2020** to **31.03.2023** for indoor treatment of employees and their dependents. The facility has been extended to Ex-employees of CWC and their spouse also on the same rate but

on cash payment basis on the following terms and conditions only:-

| S. No | Name of the Hospital | Rates | | Area of Specialization |
|-------|---|--|-------------------------|--|
| 1. | M/s. Narayana Superspeciality | CGHS Rate: All treatment at CGHS rate. | | Specialized and general purpose treatment and diagnostic procedures. |
| | | Consultation Charges: As per CGHS rate (both | | |
| | Hospital | OPD/IPD). | | |
| F | Plot No 3201 Phase 3, DLF City | Diagnostic Lab Facilities: As per CGHS rate. | | |
| | | Room Rent | | |
| | | MD/Director/CVO | Private Room Rs. 3000/- | |
| | Gurugram, | GGM/GM/DGM/AGM/ | Private Room Rs. 3000/- | |
| | Haryana – | SE and equivalent | | |
| | 122002 | Manager and below up-to | Private Room Rs.3000/- | |
| | | Supdt. and equivalent | | |
| | | Group C | Semi Private Rs. 2000/- | |
| | | Group D | General Ward Rs. 1000/- | |
| 2. | M/s. Yatharth | CGHS Rate: All treatment at CGHS rate. | | Specialized and general purpose treatment and diagnostic procedures. |
| | Wellness Super Speciality Hospital & Heart Centre, NH-01, Sector- 110, Noida, Gautam Buddha Nagar, | Consultation Charges: As per CGHS rate (both | | |
| | | OPD/IPD). | | |
| | | <u>Diagnostic Lab Facilities</u> : As per CGHS rate. | | |
| | | Room Rent | | |
| | | MD/Director/CVO | Private Room Rs. 3000/- | |
| | | GGM/GM/DGM/AGM/ | Private Room Rs. 3000/- | |
| | | SE and equivalent | | |
| | | Manager and below up-to | Private Room Rs.3000/- | |
| | | Supdt. and equivalent | | |
| | Uttar Pradesh – | Group C | Semi Private Rs. 2000/- | |
| | 201304 | Group D | General Ward Rs. 1000/- | |

Note:

- a) Wherever CGHS Rates are quoted; it is as per CGHS NABH 2014 rates.
- b) In case of Inpatient treatment; charges payable to hospital for IPD Consultation per specialist, shall be limited to 02 consultancy per day.

Issue of authority letter

The employees are to be admitted by the hospital for indoor treatment as per the entitlement of room category mentioned above, limited to entitled room charges and for this purpose, proper authorisation letter to be issued by the officials duly authorised for the same by Personnel Division, CO/RMs for the employees under their jurisdiction.

The category of room entitlement is mentioned above, there should be mention about the name of the employees, designation, category of room charges. There should also be a mention of the maximum ceiling of room rent.

If the accommodation of entitled category is available and employee insists for higher category of room, the differential amount of the room charges would be borne by the employee which will be collected by hospital at the time of his/her discharge.

Where the hospitals has charged CGHS NABH/NABL rate the same shall be paid to the hospital after obtaining a certificate from the empanelled hospital that they are accredited to such categories. Alternatively it can also be verified from CGHS website. This may be ensured by all concerned.

As per CO circular dated 23.10.2013, all RMs are competent to issue authority letters to the concerned hospital empanelled by CO, New Delhi.

The indoor treatment for the employees and their dependent may be taken for illness of specialized diseases, which cannot be treated at OPD. The authorization letter shall be issued for indoor treatment on the recommendation of the concerned Doctor of the hospital and not for the investigation, diagnostic procedures etc.

(Jatin Alagh) Sr. Asstt. Manager(Admn.) For GGM(Pers.)

Distribution:-

- 1. All Divisional Heads, CWC, Corporate Office, New Delhi.
- 2. PS to Chairman/Sr. PA to MD/SAM to Director(Fin.)/PS to Director(Pers.)PA to CVO, CWC, CO, New Delhi.
- 3. All RMs, CWC, ROs- It is requested that while referring the cases to Corporate Office, of employees working under their jurisdiction for taking treatment outside District/State, a certificate may be obtained from the concerned State/ Distt./ Govt./Govt. recognized hospitals stating that such treatment/facility is not available in these hospitals as per CSMA Rules. The contents of this circular be brought to the notice of all concerned.
- 4. MIS Division with the request to upload the circular on CWC's Website.